



2026:AHC:31326

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2100/2026

रवीन कुमार यादव एवं 102 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: श्रीश बहादुर त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.बी. त्रिपाठी, वर्तमान रिट याचिका को इस हद तक वापस लेना चाहते हैं, जहाँ तक यह याचिकाकर्ता क्रमांक 11, 91, 97, 98, 99, 100 और 101 से संबंधित है; साथ ही उन्हें उस न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता भी दी जाए जिसके पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। अतः, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है कि याचिकाकर्ता उस न्यायालय में जा सकते हैं जिसके पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है।
2. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.बी. त्रिपाठी तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
3. इस रिट याचिका में एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनके संबंधित पदों पर नियमित करें।
4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता 01.04.2003 से संविदा के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु उन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने धर्म सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [सिविल अपील संख्या 8558/2018, दिनांक 19.08.2025 को निर्णित] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।
5. उस आदेश को देखते हुए, जिसे न्यायालय इसके तहत पारित करने का प्रस्ताव करता है, इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से 15 दिनों के भीतर, इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति और साथ में सभी प्रासंगिक सामग्री संलग्न करके, प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष अपनी शिकायतों को रखते हुए एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करें; और, यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार, और यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो अधिमानतः उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, उस पर विचार करने और उसका शीघ्रता से निर्णय करने का हर संभव प्रयास करेंगे।
7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे की जाँच उसके अधिकार, पात्रता और इस संबंध में, यदि कोई हों, तो नियमों के अनुसार की जाएगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"